न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.ए.</u>

प्रकरण संख्या– 20/2023

1. मनीराम पुत्र हरिराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश हरिराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ताराचन्द पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. गीता पत्नि रामेश्वर जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. खेताराम पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. नन्दलाल पुत्र हरीराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. गोविन्द पुत्र रामेश्वर जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
7. बुधराम पुत्र रामेश्वर जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
8. दशरथ पुत्र खेताराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
9. तारामणी पत्नि शिशपाल जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
10. भीमसैन पुत्र शिशपाल जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
11. श्याम सुन्दर पुत्र शिशपाल जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

–रेस्पाडेन्टस

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।
श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–06.02.2024

अपीलांट मनीराम, औमप्रकाश पुत्रगण हरिराम जाति भाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा खाता विभाजन आदे[illegible]9.06.2023 बदालत तहसीलदार राजस्व नोहर को अपास्त किये जाने व पुनः खाता [illegible] किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलाधीन खाता विभाजन का आदेश दिनांक 19.06.2023 रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर व अदालत तहसीलदार राजस्व नोहर गैर कानुनी ढ़ंग से पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

2. सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 111/110 के ख.न. 433 की 6.6520 हैक्टर भूमि ख.न. 581/1 की 1.0500 हैक्टर भूमि ख.न. 582 की 5.2730 हैक्टर ख.न. 584 की 0.9490 हैक्टर भूमि ख.नं. 590 की 1.1890 हैक्टर भूमि कुल 15.1130 हैक्टर भूमि तथा खाता सं. 812 व ख.न. 452 की 7.9040 हैक्टर एवं खाता सं. 113/99 के खन. 583 की 1.4160 हैक्टर भूमि के लिए मातहत अदालत के समक्ष खाता विभाजन हेतु आवेदन किया गया मातहत अदालत ने उपरोक्त भूमि का खाता विभाजन दिनांक 19.06.2023 को आदेश पारित किया गया तथा जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 4327 दिनांक 28.06.2023 स्वीकृत किया गया, जो विधि की अवहेलना में पारित किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 23 की पालना के विपरित किया गया है। तथा खेताराम रेस्पोडेन्ट सं. 04 अकेले के पक्ष में ख.न. 582/2 उतर – दक्षिण व 581/1/2 उतरी तरफ पूर्व –पश्चिम अकेले को दे दिया जबकि ख.न. 582/3 व 582/4 व 582/5 व 582/6 के काश्तकारों के आंगे खेताराम को भूमि उतर में पूर्व –पश्चिम ख.न. 581/1/2 गलत दी गई है सभी काश्तकारो के उतर–दक्षिण विभाजन किया जाना था मातहत अदालत ने उपरोक्त भूमि कतई गलत तरीके से विभाजित की गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

3. उपरोक्त कृषि भूमि का नजरी नक्शा बनाते समय समस्त काश्तकारो को नहीं सुना गया तथा नजरी नक्शा पर समस्त काश्तकारो के हस्ताक्षर भी नही करवाऐ गये अपीलान्ट सं. 1 मनीराम के हस्ताक्षर नही करवाए गये। इसलिए अपीलाधीन विभाजन आदेश बिना सहमति के है तथा इसके अतिरिक्त खेताराम तारामणी, गीता के अंगूठे दर्ज है लेकिन नजरी नक्शा उन्हें समझाया भी नही गया तथा उन्हें कौनसी पासा की भूमि दी गई है बताया भी नही गया इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्तनीय है।

4. अपीलाधीन आदेश पारित करते समय मातहत अदालत ने पक्षकारान के हिस्सा की भूमि कम ज्यादा दर्ज कर दी भूमि में हिस्सा कस्सी में अन्तर आता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

5. अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय भूमि की किस्म एक जैसी नही दी गई रेस्पोडेन्ट को अच्छी किस्म की भूमि दे दी गई है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 4 को सभी पक्षकारान के उत्तर में पूर्व–पश्चिम नहरी [illegible] कि उक्त भूमि अच्छी व उन्नत किस्म की है जबकि बंटवारा के उत्तर–दक्षिण भूमि [illegible] की जानी चाहिए थी मातहत अदालत ने उक्त [illegible] को नजर [illegible] कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested

6. उपरोक्त निर्णय का अपीलान्ट को कोई ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट केवल अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से अपनी कृषि भूमि की नकल प्राप्त की, तो उसने मिलान किया, तो पता चला कि खाता विभाजन दिनांक 19.06.2023 को किया गया है, जिसमें अच्छी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

किस्म की भूमि रेस्पो सं. 4 खेताराम को दे दी गई तथा हिस्से भी कम ज्यादा दर्ज कर दिये गये है जबकि विधि या सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी प्रकरण का गुणावगुणा पर सारभूत निर्णय किया जाना चाहिए व मियाद जैसे तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण को अन्तिम रूप से निस्तारण करना चाहिए। इसलिए परिसीमा बिन्दु पर अपीलान्ट के साथ उदारता पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्दर मियाद शुमार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 अपास्तनीय है तथा नामान्तरण सं. 4327 दिनांक 28.06.2023 इसी आधार पर अपास्त फरमाया जाकर पुनः खाता विभाजन के आदेश पारित किया जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 तहसीलदार राजस्व नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 11 ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबाल अपील पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर पाया कि अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट द्वारा इकबाल अपील पेश किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है एंव नामान्तरण संख्या 4327 दिनांक 28.06.2023 खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि उभयपक्ष को पुनः सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 6.2.24 को सरेइजलास सुनाया गया।

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:53:06 IST
Reason: SelfAttested